[2025] 10 एस.सी.आर. 559 : 2025 आईएनएससी 1202

एम/एस अन्विता ऑटो टेक वर्क्स प्रा. लि.

बनाम

एम/एस अरूश मोटर्स एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 12539/2025)

08 अक्टूबर 2025

[अरविंद कुमार* एवं एन. वी. अंजारिया, न्यायाधीशगण]

विचारणीय मुद्दा

यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या उच्च न्यायालय का यह अवलोकन सही था कि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल न करने के कारण उसकी प्रतिपरीक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ†

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश VIII नियम 1 की उप-नियम (1) का परंतुक; आदेश V नियम 1 की उप-नियम (1) का द्वितीय परंतुक - लिखित कथन - सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 - धारा 9 - अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ने वाणिज्यिक वाद में 07.01.2022 को लिखित कथन दाखिल किया, जो कि 120 दिनों की वैधानिक अवधि से परे था, जो 14.11.2021 को समाप्त हो चुकी थी, कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में - अस्वीकृत - इसके विरुद्ध चुनौती:

अभिनिर्धारित: 1.1 लिखित कथन दाखिल करने के लिए 120 दिनों की वैधानिक सीमा अवधि 17.07.2021 से प्रारंभ हुई और 14.11.2021 को समाप्त हुई - ये दोनों तिथियाँ कोविड-19 की वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान थीं - इस न्यायालय ने *विषय में : सीमा-विस्तार हेतु संज्ञान (2022) 3 एस.सी.सी. 117 में, स्वप्रेरित रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020* में, 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के अंतर्गत सीमा अवधि की गणना से बाहर रखने का आदेश पारित किया था। [पैरा 28]

1.2 दोनों तिथियाँ 15.03.2020 से 28.02.2022 - की अवधि के अंतर्गत आती हैं -

*लेखक

वास्तव में, इसी अवधि के दौरान, 24.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित कथन दाखिल करने हेतु समय-वृद्धि का अनुरोध किया था और तत्पश्चात 07.01.2022 को लिखित कथन संलग्न

करते हुए लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति हेतु आवेदन किया था - अतः उच्च न्यायालय को लिखित कथन दाखिल करने के प्रयोजन से उक्त अवधि को बाहर करना चाहिए था और प्रतिवादी संख्या 1 को लिखित कथन अभिलेख पर दाखिल करने तथा वाद का गुण-दोष के आधार पर प्रतिवाद करने की अनुमति देनी चाहिए थी, न कि अपील को खारिज करना चाहिए था। [पैरा 30]

1.3 इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय की आदेश-पत्र से यह प्रकट होता है कि पीडब्ल्यू-1 की मुख्य परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, प्रतिवादी संख्या 1 की जिरह को “शून्य” मान लिया गया, इस आधार पर कि प्रतिवादी ने निर्धारित समय के भीतर लिखित कथन दाखिल नहीं किया था - उक्त कारण पूर्णतः विकृत है और प्रतिवादी को उपलब्ध प्रतिरक्षा के अधिकार के विपरीत है - जिरह का उद्देश्य साक्षी से सत्य उद्घाटित करना तथा उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाना होता है - जब लिखित कथन को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं दी गई, तब प्रतिवादी को असहाय स्थिति में छोड़ते हुए जिरह के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। [पैरा 30, 31]

1.4 अपीलकर्ता के संबंध में वाणिज्यिक वाद में पारित विवादित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाता है - मामला पुनः विचारण न्यायालय को यह निर्देश देते हुए वापस भेजा जाता है कि अपीलकर्ता को लागत के भुगतान की शर्त पर लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी जाए और वादी के साक्षियों से जिरह का अधिकार प्रदान करते हुए वाद का निस्तारण किया जाए। [पैरा 32]

प्रथा एवं प्रक्रिया - प्रक्रियात्मक नियम - उद्देश्य:

अभिनिर्धारित: प्रक्रियात्मक नियमों का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है, न कि उसे विफल करना, और जब प्रक्रिया की तकनीकी कठोरता से अन्याय होता है, तब न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए - न्यायालय ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते जहाँ वास्तविक न्याय को प्रक्रियात्मक कठोरता की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाए - जहाँ वास्तविक न्याय दांव पर हो, वहाँ तकनीकीताओं को पीछे हटना होगा ताकि पक्षकार को प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जा सके। [पैरा 2]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

बाबासाहेब रावसाहेब कोबार्ने एवं अन्य बनाम पायरो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, **2022 एससीसी एससी 1315;** *प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम डी वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड* **[2022] 8 एससीआर 889 : (2022) 5 एससीसी 112;** *रणजीत सिंह बनाम राज्य उत्तराखण्ड,* **2024 आईएनएससी 724;** *आदित्य खैतान एवं अन्य बनाम आई.एल. एंड एफ.एस. फाइनेंशियल*

सर्विसेज लिमिटेड **[2023] 12 एससीआर 803 : 2023 आईएनएससी 867 - पर निर्भर किया गया।**

असमा लतीफ़ बनाम शब्बीर अहमद **[2024] 1 एससीआर 517 : (2024) 4 एससीसी 696;** *एस.सी.जी. कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि. बनाम के.एस. चमंकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. एवं अन्य* **[2019] 3 एससीआर 1050 : (2019) 12 एससीसी 210 - का संदर्भ लिया गया।**

अधिनियमों की सूची

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908; सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897---

प्रमुख शब्दों की सूची

वाणिज्यिक वाद; लिखित कथन; लिखित कथन दाखिल करने की सीमा अवधि; 120 दिनों की समयावधि; 120 दिनों की अनिवार्य वैधानिक अवधि; कोविड-19 के कारण विलंब; कोविड-19 महामारी; विलंब की क्षमा; लिखित कथन दाखिल करने हेतु समय-वृद्धि; जिरह का अधिकार; प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल न करना, जिरह का अधिकार समाप्त किया जाना; अभिकथन; प्रक्रियात्मक नियम; तकनीकीताएँ; उदार दृष्टिकोण।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 12539/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा COMAP संख्या 19/2023 में दिनांक 20.05.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:

पी.बी. सुरेश, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुगोष सुब्रमण्यम; कार्तिक पंत; सुश्री संस्कृति सामल; सुश्री दीक्षा गुप्ता; यदुवंश गौरव; चैतन्य।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता:

बालाजी श्रीनिवासन; विश्वादित्य शर्मा; सूरज संपथ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अरविंद कुमार, न्यायाधीश

1. दोनों पक्षों को सुना। अनुमति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान विवाद को माननीय न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर के शब्दों में इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

> ***"प्रक्रियात्मक विधि अत्याचारी नहीं बल्कि सेवक होनी चाहिए; न्याय में बाधा नहीं बल्कि सहायता होनी चाहिए। यह न्याय की दासी है, स्वामिनी नहीं।"***

3. प्रक्रियात्मक नियमों का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, न कि उसे विफल करना, और जब प्रक्रिया की तकनीकी कठोरता से अन्याय होता है, तब न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण अपनाकर हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते जहाँ वास्तविक न्याय को प्रक्रियात्मक कठोरता की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाए। जहाँ वास्तविक न्याय दांव पर हो, वहाँ तकनीकीताओं को पीछे हटना होगा ताकि पक्षकार को प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान विवाद को इसी सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

4. वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा वाणिज्यिक अपील संख्या 19/2023 में दिनांक 20.05.2025 को पारित विवादित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष वाणिज्यिक न्यायालय) द्वारा मूल वाणिज्यिक वाद संख्या 372/2021 में दिनांक 15.11.2022 को पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की गई थी, जो प्रतिवादी संख्या 1 - एम/एस अरूश मोटर्स द्वारा धन की वसूली हेतु दायर किया गया था।

5. सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को उसी हैसियत से संबोधित किया जाएगा, जैसी उनकी स्थिति विचारण न्यायालय में थी; अर्थात, वर्तमान अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1

तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को क्रमशः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संबोधित किया जाएगा।

6. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

7. प्रतिवादी संख्या 1 - एम/एस अन्विता ऑटो टेक वर्क्स प्रा. लि. (वर्तमान अपीलकर्ता) ने वर्ष 2019 में भारत में "CFMOTO" नामक एक प्रमुख मोटरसाइकिल लॉन्च की और बेंगलुरु शहर सहित देश भर में इसके डीलरशिप हेतु आवेदन आमंत्रित किए। वादी - एम/एस अरूश मोटर्स (प्रतिवादी संख्या 1) ने आवेदन किया और दिनांक 03.09.2019 के आशय-पत्र के अंतर्गत अस्थायी रूप से डीलर नियुक्त किया गया। डीलरशिप के प्रतिफलस्वरूप, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को सुरक्षा जमा के रूप में ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये मात्र) की राशि जमा की तथा शोरूम स्थापित करने हेतु किराया एवं इंटीरियर पर व्यय किया। इसके अतिरिक्त, वादी ने स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, उपकरण एवं मोटरसाइकिलों के प्रारंभिक स्टॉक हेतु ₹70,00,000/- (सत्तर लाख रुपये मात्र) की राशि अदा की। इसके अलावा, ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) की अतिरिक्त राशि प्रतिवादी संख्या 1 को अदा की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सलाह पर, वादी ने सेवा केंद्र उपकरण हेतु, जो कि इसका अधिकृत सेवा प्रदाता था, प्रतिवादी संख्या 2 - कोनेयर इक्विपमेंट प्रा. लि. को ₹7,06,900/- (सात लाख छह हजार नौ सौ रुपये मात्र) की राशि भी अदा की।

8. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को बीएस-IV श्रेणी की उन्नीस (19) मोटरसाइकिलें आपूर्ति की गईं, जिनमें से आठ (8) की बिक्री हो गई। दिनांक 01.04.2020 को सरकार द्वारा बीएस-IV श्रेणी के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसी मोटरसाइकिलों की बिक्री पर रोक लगा दी, किंतु उन्हें बीएस-VI श्रेणी में उन्नत करने हेतु किट एवं उपकरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तथापि, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा न किए जाने के कारण वादी का व्यवसाय ठप हो गया और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके पश्चात, वादी ने दायित्वों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिनांक 14.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 की डीलरशिप समाप्त कर दी और निवेशित धनराशि की वसूली हेतु वाणिज्यिक मूल वाद संख्या 372/2021 दायर किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से ₹1,78,03,090/- (एक करोड़ अठहत्तर लाख तीन हजार नब्बे रुपये मात्र) 18% वार्षिक ब्याज सहित तथा प्रतिवादी संख्या 2 से ₹7,06,900/- (सात लाख छह हजार नौ सौ रुपये मात्र) 18% वार्षिक ब्याज सहित, भुगतान की वसूली तथा तीन (3) अंतर्वर्ती आवेदन (आई.ए.) संख्या I से III सम्मिलित थे।

9. समन की सेवा के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 07.08.2021 को उपस्थित हुआ, किन्तु उक्त तिथि को लिखित कथन दाखिल नहीं किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 07.09.2021 को अंतरिम आवेदन संख्या IV प्रस्तुत कर लिखित कथन दाखिल करने हेतु समयवृद्धि की प्रार्थना की। इस बीच वाणिज्यिक वाद संख्या 372/2021 के साथ दायर तीन अंतरिम आवेदनों पर दिनांक 30.10.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अंतरिम आवेदन संख्या 1, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी कि वह वादी के कब्जे से शेष मोटरसाइकिलें वापस ले जाए, स्वीकार कर लिया गया। किन्तु अन्य दो अंतरिम आवेदन, जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के विरुद्ध धनराशि वापसी हेतु अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, उन्हें मुख्य वाद के साथ विचारार्थ स्थगित रखा गया, क्योंकि मांगी गई राहत का स्वरूप अंतिम प्रकृति का था।

10. दिनांक 14.11.2021 को वाणिज्यिक वाद में लिखित कथन दाखिल करने हेतु विधि द्वारा निर्धारित 120 दिनों की अवधि समाप्त हो गई और प्रतिवादी संख्या 1 ने पुनः अंतरिम आवेदन संख्या 5 धारा 148, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (आगे 'सी.पी.सी.' कहा जाएगा) के अंतर्गत प्रस्तुत कर लिखित कथन दाखिल करने हेतु समयवृद्धि की प्रार्थना की। वादी ने दिनांक 06.12.2021 को अंतरिम आवेदन संख्या 5 पर आपत्ति दाखिल की तथा धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत अंतरिम आवेदन संख्या 6 प्रस्तुत कर प्रतिवाद को निरस्त करने की प्रार्थना की। तथापि, उक्त अंतरिम आवेदनों पर आपत्तियाँ लंबित रहते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 07.01.2022 को अंतरिम आवेदन संख्या VI/6A लिखित कथन सहित प्रस्तुत किया और विलंब की क्षमा याचना करते हुए उसे दाखिल करने की अनुमति मांगी, यह आधार रखते हुए कि विलंब का कारण प्रतिवादी संख्या 1 का बेंगलुरु में निवास न करना तथा कोविड-19 महामारी था।

11. उपर्युक्त आई.ए. को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2022 के आदेश से अस्वीकार कर दिया गया और परिणामस्वरूप लिखित कथन को भी अभिलेख पर लेने से मना कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने आई.ए. की अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देते हुए वाणिज्यिक अपील संख्या 189/2021 दायर की। इसी बीच, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन को भी "शून्य" मान लिया गया। इसके पश्चात वाद आगे बढ़ा और वादी के साक्ष्य दर्ज किए जाने की अवस्था तक पहुँचा। दिनांक 30.07.2022, 10.08.2022 तथा 19.08.2022 को पीडब्ल्यू-1 की मुख्य परीक्षा दर्ज की गई और विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि प्रतिवादी ने निर्धारित

समय के भीतर लिखित कथन दाखिल नहीं किया है, प्रतिवादी की जिरह को “शून्य” मान लिया गया तथा मामला प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए नियत कर दिया गया।

12. अंततः, दिनांक 15.11.2022 को वाद आंशिक रूप से डिक्री कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को ₹1,78,03,090/- (एक करोड़ अठहत्तर लाख तीन हजार नब्बे रुपये मात्र) का भुगतान करने तथा प्रतिवादी संख्या 2 को ₹7,06,900/- (सात लाख छह हजार नौ सौ रुपये मात्र) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, प्रत्येक पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की प्राप्ति तक 9% (नौ प्रतिशत) वार्षिक भविष्य ब्याज सहित। परिणामस्वरूप, उक्त निर्णय एवं डिक्री के प्रकाश में वाणिज्यिक अपील संख्या 189/2022 को प्रत्याहारित मानते हुए खारिज कर दिया गया।

13. विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 ने वाणिज्यिक अपील संख्या 19/2023 दायर की, जिसे विवादित आदेश दिनांक 20.05.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः वर्तमान अपील।

14. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतियाँ

15. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.बी. सुरेश ने प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2022 के लिखित कथन को अस्वीकार करना, इस न्यायालय द्वारा कोविड-19 के कारण सीमा अवधि बढ़ाने हेतु ***स्वप्रेरित रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020*** में पारित आदेशों के प्रतिकूल है, जिसमें 15.03.2020 से 28.02.2022 की अवधि को, वाणिज्यिक विवादों सहित सभी मामलों में, सीमा अवधि से बाहर रखा गया था। अपने इस तर्क के समर्थन में माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय ***बाबासाहेब रावसाहेब कोबार्न एवं अन्य बनाम पायरोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1315 प्रकाश कॉरपोरेट्स डी वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2022) 5 एससीसी 112*** पर भरोसा किया।

16. माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय द्वारा अनुमत समयावधि के भीतर लिखित कथन दाखिल न करना, स्वतः ही प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय सुनाए जाने के समतुल्य नहीं होता। इस तर्क के समर्थन में माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय ***अस्मा लतीफ़ बनाम शब्बीर अहमद, (2024) 4 एससीसी 696*** पर निर्भरता व्यक्त की।

17. माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय ***रणजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, 2024 आईएनएससी 724*** पर भरोसा करते हुए जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि लिखित कथन दाखिल न किए जाने की स्थिति में भी जिरह का अधिकार जीवित रहता है और जिरह की अनुमति न दिए जाने से याचिकाकर्ता के महत्वपूर्ण अधिकारों का, गुण-दोष के आधार पर निर्णय किए बिना, हनन हुआ है।

18. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आदेश VIII नियम 10 दीवानी प्रक्रिया संहिता न्यायालय को केवल इस आधार पर कि लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, स्वतः डिक्री पारित करने का अधिकार नहीं देता। न्यायालय को यह भी मूल्यांकन करना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई संतोष दर्ज किए बिना ही संक्षेप में डिक्री पारित कर दी गई।

19. अंत में उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि विवादित डिक्री का निष्पादन किया गया, तो याचिकाकर्ता को गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी, जबकि उसे दावा का प्रतिवाद करने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया, और यह स्थापित सिद्धांत है कि प्रक्रियात्मक नियमों का प्रयोग वास्तविक न्याय को विफल करने हेतु नहीं किया जाना चाहिए।

<u>प्रतिवादी संख्या 1-वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

20. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ता श्री बालाजी श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित कथन दाखिल न किए जाने के कारण उसका जिरह का अधिकार समाप्त हो गया था। उच्च न्यायालय ने सही रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी संख्या 1 को बार-बार तथा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, उसने जानबूझकर अपने जिरह के अधिकार का प्रयोग नहीं किया।

21. माननीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने पीडब्ल्यू-1 की जिरह की अवस्था को बंद करने वाले आदेश को वापस बुलाने हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं किया और न ही ऐसे आदेश को चुनौती देते हुए कोई अपील या रिट याचिका दायर की। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था और अब इस विलंबित चरण में ऐसी दलील उठाने से प्रतिबंधित है, विशेषकर तब जब प्रतिवादी संख्या 1 ने अपील ज्ञापन में भी यह आधार नहीं लिया।

22. माननीय अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय का दरवाजा अशुद्ध हाथों से खटखटाया है। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उसका

आचरण निरंतर विलंबकारी रणनीति, असत्य अभिकथनों तथा प्रक्रिया के दुरुपयोग का द्योतक है। उसने वैधानिक अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल नहीं किया, जिरह का अवसर समाप्त होने दिया और प्रारंभिक स्तर पर जिरह बंद करने वाले आदेशों को कभी चुनौती नहीं दी। अतः वर्तमान विशेष अनुमति याचिका केवल डिक्री के वैध निष्पादन में बाधा डालने और विलंब करने का अंतिम प्रयास मात्र है।

विचारार्थ मुद्दा

23. इस न्यायालय ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 18.05.2025 को नोटिस जारी करते समय यह मत व्यक्त किया था कि विचारण हेतु केवल निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है:

> ***"क्या उच्च न्यायालय यह कहने में सही था कि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल न किए जाने के कारण उसका जिरह का अधिकार समाप्त हो जाता है?"***

24. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पूर्व, यह उपयुक्त है कि वाद की अवस्था से संबंधित तथ्यों की कालानुक्रमिक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए, जो वर्तमान विवाद के निर्धारण के लिए केंद्रीय महत्व की है, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से प्रकट होता है।

क्रम संख्या	**वाणिज्यिक वाद COM. OS सं. 372/2021 के चरण**	**तारीख**
1.	वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करना	**18.06.2021**
2.	प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को मुकदमे का समन जारी किया गया	**23.06.2021**
3.	प्रतिवादी संख्या 1 को समन तामील कराया गया	**17.07.2021**
4.	प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हुआ	**07.08.2021**
5.	वाणिज्यिक न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को 07.09.2021 तक लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।	**17.08.2021**
6.	प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर याचिका संख्या IV में लिखित लिखित लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय विस्तार की मांग की गई है।	**07.09.2021**
प्रारंभिक 30 दिनों की अवधि पूरी हो चुकी है।		
7.	120 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के विशेष संशोधन के अनुसार आदेश	**14.11.2021**

	V के नियम 1 की उप-नियम (1) के द्वितीय प्रावधान तथा आदेश VIII के नियम 1 की उप-नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है।	
8.	प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित बयान दाखिल करने की अवधि बढ़ाने हेतु दीवानी प्रक्रिया संहिता, धारा 148 के अंतर्गत अंतरिम आवेदन संख्या 5 प्रस्तुत किया।	**24.11.2021**
9.	वादी-प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिरक्षा को हटाने हेतु दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत अंतरिम आवेदन संख्या 6 प्रस्तुत किया और प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित बयान दाखिल करने की अवधि बढ़ाने हेतु धारा 148 के अंतर्गत अंतरिम आवेदन संख्या 7 प्रस्तुत किया।	**06.12.2021**
10.	अंतरिम आवेदन संख्या VI/6A प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति लिखित बयान सहित मांगी गई।	**07.01.2022**
11.	अंतरिम आवेदन संख्या VI/6A का अस्वीकरण तथा परिणामस्वरूप लिखित बयान को अभिलेख पर लेने से इंकार।	**22.03.2022**
12.	वाणिज्यिक अपील संख्या 189/2021 दाखिल की गई, जिसमें लिखित बयान के अस्वीकरण को चुनौती दी गई।	**21.04.2022**
13.	वादी के अनुरोध पर पीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य दर्ज करने हेतु कार्यवाही स्थगित की गई	**30.07.2022 to 10.08.2022**
14.	इस बीच, पीडब्ल्यू-1 का मुख्य परीक्षण किया गया और प्रतिवादी का प्रतिपरीक्षण *"शून्य"* माना गया क्योंकि उन्होंने निर्धारित समयावधि के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल नहीं किया।	**19.08.2022**
15.	मुकदमा आंशिक रूप से डिक्री किया गया।	**15.11.2022**

25. उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी को दिनांक 17.07.2021 को समन की तामील हो गई थी, तथापि वह 07.01.2022 तक लिखित कथन दाखिल नहीं कर सकी, जो कि 120 दिनों की वैधानिक अवधि के 14.11.2021 को समाप्त हो जाने के काफी बाद था।

26. वाणिज्यिक विवाद में लिखित कथन दाखिल करने की वैधानिक अवधि के संबंध में विधि का प्रावधान स्पष्ट रूप से दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की आदेश VIII, नियम 1, उप-नियम (1) के प्रावधान तथा आदेश V, नियम 1, उप-नियम (1) के द्वितीय प्रावधान में, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के विशेष संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। उक्त प्रावधान

न्यायालयों पर यह पूर्ण निषेध लगाते हैं कि वे एक सौ बीस (120) दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् लिखित कथन स्वीकार नहीं कर सकते। सुविधा हेतु आदेश VIII, नियम 1, उप-नियम (1) के प्रावधान का शुद्ध पाठ अधोलिखित रूप से उद्धृत किया जाता है।

> *"**1. लिखित कथन –** प्रतिवादी, उस पर समन की तामील की तिथि से तीस दिनों के भीतर, अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा:*
>
> *परंतु यदि प्रतिवादी उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहता है, तो न्यायालय द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए तथा न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली लागत के भुगतान पर, उसे किसी अन्य तिथि को लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु यह तिथि समन की तामील की तिथि से एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी; और समन की तामील की तिथि से एक सौ बीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिवादी लिखित कथन दाखिल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन को अभिलेख पर लेने की **अनुमति नहीं देगा।**"*

27. वाणिज्यिक विवाद में लिखित कथन दाखिल करने की वैधानिक अवधि की अनिवार्यता इस न्यायालय के निर्णय ***एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, (2019) 12 एससीसी 210*** द्वारा सुदृढ़ की गई, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि विधि द्वारा निर्धारित 120 दिनों की समयसीमा निर्देशात्मक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अतः वाणिज्यिक न्यायालय 120 दिनों से अधिक की अवधि में लिखित कथन दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा नहीं कर सकते। इस पहलू पर ही अपील निरस्त की जा सकती थी, तथापि वर्तमान विवाद में एक और अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसे यह न्यायालय अनदेखा नहीं कर सकता।

28. उपर्युक्त वर्णित कालानुक्रमिक सारणी का सूक्ष्म परीक्षण यह दर्शाता है कि लिखित कथन दाखिल करने की सीमा अवधि 17.07.2021 को प्रारंभ हुई और 14.11.2021 को समाप्त हुई। ये दोनों तिथियाँ उस समय की हैं जब हमारा देश कोविड-19 की वैश्विक महामारी की चपेट में था, जिसने विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन के साथ-साथ हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि वादकारियों को भौतिक रूप से न्यायालयों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और यह मत था कि महामारी को ऐसा कारण नहीं बनने दिया

जाना चाहिए जिससे सीमा अवधि की समाप्ति के कारण वादकारियों के अधिकार नष्ट हो जाएँ, जबकि महामारी न होती तो वे समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे। अतः इस न्यायालय ने ***विषय में : सीमा-विस्तार हेतु संज्ञान (2022) 3 एस.सी.सी. 117, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (नागरिक) सं. 3/2020*** में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को किसी भी सामान्य या विशेष कानून के अंतर्गत सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में सीमा अवधि की गणना से बाहर रखने हेतु आदेशों की एक श्रृंखला पारित की। संदर्भ के लिए, आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जाता है:

> "......
>
> *I. दिनांक 23.03.2020 का आदेश पुनः बहाल किया जाता है और दिनांक 08.03.2021, 27.04.2021 तथा 23.09.2021 के पश्चातवर्ती आदेशों की निरंतरता में, यह निर्देश दिया जाता है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि, सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में, किसी भी सामान्य या विशेष कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमा अवधि के प्रयोजनों के लिए बाहर रखी जाएगी।*
>
> *II. परिणामस्वरूप, यदि कोई शेष सीमा अवधि 03.10.2021 को शेष थी, तो वह 01.03.2022 से प्रभावी होकर उपलब्ध होगी।*
>
> *III. उन मामलों में जहाँ सीमा अवधि 15.03.2020 से 28.02.2022 की अवधि के दौरान समाप्त हो जाती, वहाँ वास्तविक शेष सीमा अवधि की परवाह किए बिना, सभी व्यक्तियों को 01.03.2022 से 90 दिनों की सीमा अवधि उपलब्ध होगी। यदि 01.03.2022 से प्रभावी वास्तविक शेष सीमा अवधि 90 दिनों से अधिक हो, तो वही लंबी अवधि लागू होगी।*
>
> ......"

29. इस न्यायालय ने ***आदित्य खैतान एवं अन्य बनाम आई.एल. एंड एफ.एस. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 2023 आईएनएससी 867*** में एक समान परिस्थिति का सामना किया था, जहाँ उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को वाणिज्यिक विवाद में लिखित बयान दाखिल करने से यह कहते हुए वंचित कर दिया था कि वह अनिवार्य वैधानिक अवधि 120 दिनों से परे था। इस न्यायालय ने ***विषय में : सीमा-विस्तार हेतु संज्ञान (उपर्युक्त)*** में पारित आदेशों पर भरोसा करते हुए अपील को स्वीकार किया और लिखित बयान को

अभिलेख पर लेने का निर्देश दिया। आगे इस न्यायालय ने ***बाबासाहेब रावसाहेब कोबार्ने एवं अन्य बनाम पायरो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1315*** तथा ***प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम डी वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (2022) 5 एससीसी 112*** में भी अपीलकर्ता को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी, यद्यपि वह 120 दिनों की अवधि से परे दाखिल किया गया था, कोविड-19 महामारी के आलोक में जहाँ सीमा-काल को उपर्युक्त अनुसार बढ़ाया गया था।

30. तत्कालीन मामले के तथ्यों पर पुनः आते हुए, 120 दिनों की वैधानिक अवधि समन की तामील की तिथि 17.07.2021 से प्रारंभ हुई और सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 की धारा 9 के अनुसार, समन की तामील की तिथि को बाहर रखते हुए, 18.07.2021 से 120 दिनों की अवधि की गणना प्रारंभ हुई, जो 14.11.2021 को समाप्त हुई। उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये दोनों तिथियाँ 15.03.2020 से 28.02.2022 की अवधि के भीतर आती हैं। वास्तव में, इसी अवधि के दौरान, विशेष रूप से 24.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित कथन दाखिल करने हेतु समय-वृद्धि के लिए आई.ए. संख्या 5 दायर किया था और तत्पश्चात 07.01.2022 को आई.ए. संख्या VI/6A दायर कर लिखित कथन संलग्न करते हुए उसे दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। अतः उच्च न्यायालय को लिखित कथन दाखिल करने के प्रयोजन से उक्त अवधि को बाहर रखना चाहिए था और प्रतिवादी संख्या 1 को लिखित कथन अभिलेख पर लेने तथा वाद का गुण-दोष के आधार पर प्रतिवाद करने की अनुमति देनी चाहिए थी, न कि अपील को खारिज करना चाहिए था।

31. एक अन्य कारण भी है, जिसके चलते वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अभिलेखों का अवलोकन, विशेष रूप से विचारण न्यायालय की दिनांक 19.08.2022 की आदेश-पत्र (अनुलग्नक P-17), यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीडब्ल्यू-1 की मुख्य परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, प्रतिवादी संख्या 1 की जिरह को “शून्य” मान लिया गया, केवल इस आधार पर कि प्रतिवादी ने निर्धारित समय के भीतर लिखित कथन दाखिल नहीं किया था। यह कारण पूर्णतः विकृत है और प्रतिवादी को उपलब्ध प्रतिरक्षा के अधिकार के विपरीत है। जिरह का उद्देश्य साक्षी से सत्य उद्घाटित करना तथा उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाना होता है। जब लिखित कथन को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं दी गई, तब प्रतिवादी को असहाय स्थिति में छोड़ते हुए जिरह का अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता। यह प्रतिवादी के प्रतिरक्षा अधिकार के ताबूत में अंतिम कील के समान है। इस न्यायालय ने हाल ही में ***रणजीत सिंह बनाम***

उत्तराखंड राज्य, 2024 आईएनएससी 724 में यह घोषित किया है कि भले ही प्रतिवादी ने लिखित कथन दाखिल न किया हो, फिर भी वादी के साक्षियों से जिरह करने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होता। संदर्भ हेतु निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जाता है:

> *"5......इस चरण पर हमें विधिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भले ही कोई प्रतिवादी लिखित कथन दाखिल न करे और उसके विरुद्ध वाद को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया जाए, फिर भी प्रतिवादी को उपलब्ध सीमित प्रतिरक्षा समाप्त नहीं होती। प्रतिवादी सदैव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षियों से जिरह कर सकता है ताकि वादी के मामले की असत्यता को स्थापित किया जा सके। प्रतिवादी वाद-पत्र तथा वादी के साक्ष्यों के आधार पर यह भी तर्क कर सकता है कि वाद किसी विधि, जैसे सीमा अधिनियम, के अधीन प्रतिबंधित है ......"*

32. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे **स्वीकार किया जाता है।** परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक अपील संख्या 19/2023 में दिनांक 20.05.2025 का विवादित निर्णय तथा वाणिज्यिक वाद संख्या 372/2021 में अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष वाणिज्यिक न्यायालय) द्वारा दिनांक 15.11.2022 को पारित निर्णय एवं डिक्री, अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में, निरस्त की जाती है और मामला पुनः विचारण न्यायालय को भेजा जाता है ताकि अपीलकर्ता को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की लागत के भुगतान की शर्त पर लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी जाए तथा वादी के साक्षियों से जिरह करने का अधिकार प्रदान करते हुए वाद का निस्तारण किया जाए। विचारण न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह वर्तमान वाणिज्यिक वाद का शीघ्र निस्तारण करे, अधिमानतः आज से छह (6) माह की अवधि के भीतर।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की जाती है।

†शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडेय द्वारा तैयार की गईं।

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।